राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/स.स.–पं.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2020/881 जयपुर,दिनांक:19-06-20

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक अतिरिक्त विकास अधिकारी (सहायक सचिव)/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी) के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:–

क्र. स.	नाम कार्मिक सर्व श्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापित स्थान	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने की दिनांक
1.	अर्जुनराम	अतिरिक्त विकास अधिकारी	पं.स. मूण्डवा (नागौर)	30.09.2020
2.	हरीकिसन मूंडेल	सहायक विकास अधिकारी	पं.स. मूण्डवा (नागौर)	31.07.2020
3.	विधाधर	सहायक विकास अधिकारी	पं.स. चिड़ावा (झुंझुनूं)	31.03.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्मिकों के विरूद्ध आज तक:–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

D:\SSR\Ext.Officers\2018\Order Ext_officer 2018.doc

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रो के आधार पर किये गये है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति –संबंधित।
5. आदेश में वर्णित संबंधित अतिरिक्त विकास अधिकारी (सहायक सचिव)/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी)।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

Scanned with CamScanner